

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा
170-ख के अधीन बने नियम

अधिसूचना क्रमांक

2564-6-3-81-सात-एन-1 दिनांक 15
सितम्बर, 1981

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 1951

क्र. 2564-6-3-81-सा-1-सा.—मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यु कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 170-ख की उपधारा (1) क साथ पठित धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (चालीस-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त कोड की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, अर्थात्:—

नियम

मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यु कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 170-ख की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित जानकारी संबंधित व्यक्ति द्वारा व्यक्तिशः या अपने विधिक प्रतिनिधि द्वारा या डाक से भेजते हुए या उपखण्ड अधिकारी को इससे संज्ञान प्राप्त करने में अधिसूचित की जायगी.

श्राव्य

प्रति,
उपखण्ड अधिकारी
जिला

मध्यप्रदेश लेण्ड रेवेन्यु कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 170-ख की उपधारा (1) के अनुसरण में एतद्वारा निम्न-लिखित जानकारी अधिसूचित करता हूँ:—

सर्वेक्षण क्रमांक	क्षेत्रफल	तारीख जिसको कि कब्जे में आई तथा किससे		भूमि किस प्रकार मेरे कब्जे में आई
		तारीख	किससे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

तारीख

हस्ताक्षर

आत्मज

निवासी

तहसील

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भा. मु. दाते, सचिव.

Bhopal, the 15th September 1951

No. 2564-6-3-81-VII-N-1.—In exercise of the powers conferred by clause (XI—a) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (1) of Section 170-B, of the Madhya Pradesh Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the Government hereby makes the following rule, the same having been previously published in the Gazette of India required by sub-section (3) of Section 258 of the said code namely:—

RULE

The information required under sub-section (1) of Section 170-B of the Madhya Pradesh Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall be notified in form 'A' appended herewith by the person concerned to the Sub-Divisional Officer presenting in person or through his legal representative or by sending through post

FORM

To,

The Sub-Divisional, Officer
District

In pursuance of sub-section (1) of Section 170-B of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), I hereby notify the information as follows:—

Survey No	Area	Date when came into my possession and from whom		How I have come in possession of the land
		Date	From whom	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Signature

S/o

R/o

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. M. DATE, Secy.